महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 -2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07(170)मगंसिविबी./प्रबन्ध बोर्ड-41/2023/4641 – 57   दिनांक : 15.6.23

1. प्रो. विनोद कुमार सिंह,माननीय अध्यक्ष- प्रबन्ध बोर्ड,महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,बीकानेर।
2. श्रीमती कृष्ण पूनिया, माननीय विधायक, 297, कृष्णा निवास, वार्ड न. 14, राजगढ जिला-चूरू।
3. श्री जगदीश चन्द्र, माननीय विधायक-सादुलशहर, वार्ड न. 3, रेलवे क्रॉसिंग के पास,सादुलशहर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, बीकानेर, प्रतिनिधि, शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार।
8. श्री वरूण यादव, A-256, Paramount Golf Foreste Villa, Sector Zeta 2, UPSIDC Site C, Greater Noida (U.P.) 201306
9. डॉ. विश्वपति त्रिवेदी, सेवानिवृत आई.ए.एस.7, स्प्रींग लेन, वाया ग्रीन एवेन्यु, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
10. प्रो. एच.एस. शर्मा, सेवानिवृत आचार्य, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. श्री एन.एस. बिस्सा, फ्लेट न. 12, ग्राउण्ड फ्लोर, जगदीश विहार-द्वितीय, प्रेम नगर, जगतपुरा, जयपुर (राज.)
12. डॉ. मीनू पूनिया, प्राचार्य, डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, श्रीगंगानगर ।
13. प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान,महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
14. प्रो. राजाराम चोयल, आचार्य, पर्यावरण विज्ञान, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
15. डॉ. भगवानाराम बिश्नोई, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर।
16. डॉ. अनन्त जोशी, प्राचार्य, बी.जे.एस.आर. जैन विधि महाविद्यालय, बीकानेर।

विषय :- प्रबन्ध बोर्ड की 41 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 14-06-2023 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 41 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कृपया उक्त कार्यवाही विवरण में माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में लिखित रूप से अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नः कार्यवाही विवरण।

भवदीय,

15/6/23

(अरूण प्रकाश शर्मा)

सदस्य सचिव

mycomp/E/SI/docx1

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगांसिविवी/प्रबन्ध बोर्ड-41/2023/4640 दिनांक 15.6.23

प्रबन्ध बोर्ड की 41 वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 41वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2023 को प्रातः 11:30 बजे प्रबन्ध बोर्ड समागार, महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) में माननीय कुलपति प्रो. विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो0 विनोद कुमार सिंह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	डॉ. फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
3	डॉ. विश्वपति त्रिवेदी माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
4	श्री एन.एस. बिस्सा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
5	डॉ0 भगवानाराम बिश्नोई राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
6	डॉ0 अनन्त जोशी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
7	डॉ0 मीनू पूनिया कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
8	प्रो0 अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
9	प्रो0 राजाराम चोयल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
10	श्री अरुण प्रकाश शर्मा कुलसचिव	सदस्य

बैठक के प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की 41 वीं बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। विशेषकर विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड में नव मनोनीत सदस्य डॉ. विश्वपति त्रिवेदी का स्वागत किया गया।

तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की 40वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2023 के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
507	दिनांक 11-01-2023 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध बोर्ड की 40वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव।	
निर्णय	**कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।**	
508	दिनांक 11-01-2023 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 40 वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की 40 वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) का अनुमोदन किया गया।**	
509	प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 13-04-2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।**	
510	प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 13-04-2023 के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 13-04-2023 के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) का अनुमोदन किया गया।**	
511	**प्रतिवेदित है कि** माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार बीकानेर में RCAT (Rajiv Gandhi Centre of Advanced Technology) and IStart innovation School Hub स्थापित किया जाना है। जिला कार्यालय, सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बीकानेर द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में RCAT (Rajiv Gandhi Centre of Advanced Technology) के लिए 3000 वर्ग मीटर एवं IStart innovation School Hub के लिए 3000 वर्ग मीटर कुल 6000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करने हेतु अनापत्ति देने का अनुरोध किया गया। प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय द्वारा पत्रावली पर प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 18-03-2023 की पालना में पत्रांक 113 दिनांक 18-03-2023 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। उक्त जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.20(3)शिक्षा-4/2022 दिनांक 30-04-2023 के द्वारा राज्य सरकार ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को आवंटित भूमि में से 6000 वर्ग मीटर भूमि सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बीकानेर को RCAT (Rajiv Gandhi Centre of	

	Advanced Technology) and IStart Innovation School Hub के निर्माण के लिए निःशुल्क आवंटित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। दिनांक 02 जून, 2023 को जिला कार्यालय, सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बीकानेर को 6000 वर्ग मीटर भूमि हस्तानान्तरित कर कब्जा दे दिया गया है।	
निर्णय	**प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि उक्त सेन्टर्स से विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं एवं सेन्टर्स के संचालन के संबंध सम्पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गए।**	
512	प्रतिवेदित है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पुस्तकालय मद में राशि रू. 2 करोड़ का प्रावधान किया गया था। उक्त अवधि में पुस्तकालय द्वारा क्रय करने की कार्यवाही करते हुए राशि रू. 15189561.00/- की ई-बुक्स क्रय की गई जिसके भुगतान हेतु दिनांक 29 मार्च, 2023 को बिल प्रस्तुत किये गए। उक्त बिलों की जांच एवं अन्य कार्यवाही में समय लगने के कारण 31 मार्च, 2023 तक भुगतान नहीं किया जा सका। माननीय कुलपति महोदय की पत्रावली पर प्रदत्त आज्ञा दिनांक 27-04-2023 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1070-74 दिनांक 27-04-2023 के द्वारा राशि रू. 15189561.00/- के भुगतान की स्वीकृति प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई। उक्त स्वीकृति आदेश प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रस्ताव को स्थगित करते हुए वित्तीय वर्ष की अवधि के पश्चात् एवं लेखानुदान के माध्यम से किये गए भुगतान के संदर्भ में वित्त नियंत्रक की राय सहित क्रय की गई ई-बुक्स के संबंध में सम्पूर्ण विवरण मय सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गए।**	
513	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय परीक्षा-2023 में उत्तरपुस्तिका सप्लाई फर्म द्वारा कार्य पूर्ण करने पर 90 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में उक्त मद में प्रावधान किया गया था परन्तु तत्समय कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उक्त वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट अनुमोदित नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधान होने के कारण परीक्षा जैसे महत्वूपर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए माननीय कुलपति के स्तर से प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में राशि रू. 19557411/- का भुगतान संबंधित फर्म को किया गया। उक्त स्वीकृति प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रस्ताव को स्थगित करते हुए वित्तीय वर्ष की अवधि के पश्चात् एवं लेखानुदान के माध्यम से किये गए भुगतान के संदर्भ में वित्त नियंत्रक की राय सहित सम्पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान**	

	किये गए।	
514	प्रतिवेदित है कि शासन वरिष्ठ उप सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.06(1)सै.क./2018/दिनांक 04-04-2023 के द्वारा राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड (रेक्सको) के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के विद्यमान मासिक पारिश्रमिक दरों में दिनांक 01-04-2023 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई। उक्त निर्देश की पालना में इस विश्वविद्यालय में राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड (रेक्सको) के माध्यम से संविदा पर नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के विद्यमान मासिक पारिश्रमिक दरों में दिनांक 01-04-2023 से 15 प्रतिशत की वृद्धि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय कुलपति के स्तर से प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृति जारी की गई। उक्त स्वीकृति प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**आदेश की पुष्टि की गई।**	
515	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय मे पदस्थापित शिक्षकों एवं समकक्षों को केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत पात्रता तिथि से नगद लाभ प्रदान करने हेतु संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.01(06) शिक्षा-4/2010 पार्ट-II दिनांक 25-05-2022 के द्वारा निर्देशित किया गया है। उक्त पत्र को प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति के क्रम में विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 18-05-2023 के द्वारा हाल केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत प्रोन्नत सहायक आचार्यो को पात्रता तिथि से नगद लाभ प्रदान किया गया । संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.01(06) शिक्षा-4/2010 पार्ट-II दिनांक 25-05-2022 एवं विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 18-05-2023 के द्वारा केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत प्रोन्नत सहायक आचार्यो को पात्रता तिथि से नगद लाभ प्रदान की स्वीकृति प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.01(06) शिक्षा-4/2010 पार्ट-II दिनांक 25-05-2022 का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 18-05-2023 के द्वारा केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत प्रोन्नत सहायक आचार्यो को पात्रता तिथि से नगद लाभ प्रदान के आदेश की पुष्टि की गई।**	
516	प्रतिवेदित है कि कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F.7(4)DOP/A-II/2023-04341 Jaipur dated 15-05-2023 को प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से लागू करते हुए राज्य सरकार के कार्मिकों के समान विश्वविद्यालय मे	

	पदस्थापित अशैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों को नियमित पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 3316 दिनांक 25-05-2023 जारी किया गया।उक्त आदेश प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F.7(4)DOP/A-II/2023-04341 Jaipur dated 15-05-2023 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करते हुए प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई।	
517	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 के प्रावधानानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा 01 अप्रेल, 2023 से 30 जून, 2023 या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमोदन होने तक (जो भी पहले हो) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्याशा में अंतरिम बजट (लेखानुदान) स्वीकृत किया गया। उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.05(122) लेखा/मगांसिंविबी/2023/29903 दिनांक 29-03-2023 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लेखानुदान आदेश की पुष्टि करते हुए माननीय सदस्य डॉ. विश्वपति त्रिवेदी द्वारा दिये गए सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी वर्षो में वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय का बजट पारित करवाने हेतु वित्त नियंत्रक को पाबन्द किये जाने के निर्देश दिये गये।**	
518	वित्त समिति की बैठक दिनांक 02-06-2023 में अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक बजट का प्रारूप प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा वित्त समिति द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक बजट का अनुमोदन किया गया।**	
519	विश्वविद्यालय में दिनांक 01-01-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20-04-2023 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया। साथ ही बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों की भावना से राज्य सरकार को अवगत कराये जाने की सहमति प्रदान की।**	
पूरक मद		
520	विश्वविद्यालय लेखों की सी.ए. द्वारा की गई ऑडिट उपरान्त प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	

निर्णय	विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की गई।	
टेबल मद		
521	विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षात्मक एवं अन्य कार्यो के लिए दिए जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव ।	
निर्णय	**समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**	
522	विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर "कुलपति स्कॉलरशिप", "निराश्रित विद्यार्थियों के लिए कुलपति वित्तीय सहायता योजना" तथा "असाध्य रोग से पीड़ित तथा विकलांग विद्यार्थियों के लिए कुलपति वित्तीय सहायता योजना" शुभारम्भ करने हेतु दिशा-निर्देश एवं नियमावली तैयार करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव ।	
निर्णय	"कुलपति स्कॉलरशिप", "निराश्रित विद्यार्थियों के लिए कुलपति वित्तीय सहायता योजना" का अनुमोदन किया गया। असाध्य रोग से पीड़ित तथा विकलांग विद्यार्थियों के लिए कुलपति वित्तीय सहायता योजना" के तहत पात्रता के मानदण्डों का पुनः परीक्षण करवाकर सरल व स्पष्ट प्रस्ताव पुनः प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	
523	विश्वविद्यालय बैठकों एवं कार्यो हेतु स्वयं की कार/टैक्सी से यात्रा करने पर निर्धारित दरों में परिवर्तन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निम्नानुसार दरे संशोधित की गई :-**	

क्र. स.	बैठक/विभिन्न कार्य सदस्य	टैक्सी/स्वयं की कार की संशोधित दर	बैठक भत्ता	ठहराव एवं भोजन व्यवस्था	पूर्वानुमति
1	प्रबन्ध बोर्ड/चयन समिति एवं आमंत्रित विशेष सदस्य	वास्तविक व्यय या अधिकतम 15/- प्रति कि.मी. (बडे वाहन)	राशि रू. 5000/-	विश्वविद्यालय द्वारा	आवश्यकता नहीं
2	विद्या परिषद् सदस्य	वास्तविक व्यय या अधिकतम 12/- प्रति कि.मी.	राशि रू. 2000/-	विश्वविद्यालय द्वारा	आवश्यकता नहीं

		(स्वयं के वाहन से राशि रू. 10/-)			
3	अध्ययन बोर्ड/ संकायाध्यक्ष समिति/ समकक्षता समिति	वास्तविक व्यय या अधिकतम 12/- प्रति कि.मी. (स्वयं के वाहन से राशि रू. 10/-)	राशि रू. 1000/-	विश्वविद्यालय द्वारा	आवश्यकता नही
4	निरीक्षण दल/ उडन दस्ता दल एवं कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति सदस्यगण/ विश्वविद्यालय कार्य से यात्रा करने वाले शिक्षकगण एवं अधिकारीगण।	वास्तविक व्यय या अधिकतम 12/- प्रति कि.मी. (स्वयं के वाहन से राशि रू. 10/-)	मानदेय राशि रू. 1000/-	विश्वविद्यालय द्वारा	शेयरिंग (न्यूनतम 02 सदस्य) वाहन हेतु पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं

शोध मौखिक परीक्षक/खेलबोर्ड सदस्य/संगोष्ठी-वर्कशॉप में आमंत्रित विषय विशेषज्ञ को वास्तविक व्यय या अधिकतम 12/- प्रति कि.मी. की दर से (स्वयं के वाहन से राशि रू. 10/-) तथा विश्वविद्यालय कार्यो हेतु आमंत्रित विशेषज्ञों माननीय कुलपति महोदय की पूर्वानुमति से वास्तविक व्यय या अधिकतम 12/- प्रति कि.मी. की दर (स्वयं के वाहन से राशि रू. 10/-) निर्धारित की गई। साथ ही पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित किया गया।

524	प्रबन्ध बोर्ड की 28 वीं बैठक दिनांक 23-09-2016 एवं 29 वीं बैठक दिनांक 09-06-2017 के विनिर्णय संख्या 345 एवं 350 के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों, अधिकारियों को टेलीफोन(मोबाईल +आवासीय टेलीफोन+इन्टरनेट+ब्राडबैण्ड) को सुविधा प्रदान की जा रही है। उपरोक्त निर्णयों की पालना में जारी आदेशों के प्रकाश में निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. एवं सेल प्रभारियों को डॉयरेक्टर सेन्टर्स के अनुसार टेलीफोन(मोबाईल+आवासीय टेलीफोन+ इन्टरनेट +ब्राडबैण्ड) की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव प्रबन्ध

	बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही प्रभारी गोदित गांव को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।**	
525	प्रबन्ध बोर्ड की 36 वीं बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2022 के विनिर्णय संख्या 473 के द्वारा माननीय कुलपति महोदय से मिलने के लिए आने वाले आगन्तुकों एवं कुलपति सचिवालय में आयोजित बैठक में जलपान की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। साथ ही विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 6134 दिनांक 26-06-2018 के द्वारा कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में आने वाले अतिथियों के लिए वास्तविक व्यय राशि (अधिकतम 1500/- रू. प्रतिमाह) का प्रावधान किया गया है। उक्त व्यवस्था में विस्तार करते हुए अतिरिक्त कुलसचिव कार्यालय में आने वाले अतिथियों एवं आयोजित होने वाली मीटिंगों के लिए वास्तविक व्यय राशि (अधिकतम 1500/- रू. प्रतिमाह) करने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। वर्तमान में विश्वविद्यालय माननीय कुलपति महोदय, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक एवं सम्पदा अधिकारी को वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी व्यवस्था में विस्तार करते हुए अतिरिक्त कुलसचिव को आवास से विश्वविद्यालय आने जाने एवं विश्वविद्यालय कार्यो हेतु निर्धारित नियमानुसार वाहन सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। उपरोक्त दोनों प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उक्त प्रस्ताव में निदेशक, शोध कार्यालय में आने वाले अतिथियों एवं आयोजित होने वाली मीटिंगों के लिए वास्तविक व्यय राशि (अधिकतम 1500/- रू. प्रतिमाह) को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।**	
माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		
(1)	माननीय सदस्य डॉ. विश्वपति त्रिवेदी ने विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विभाग प्रारम्भ करने का सुझाव दिया। उक्त सुझाव पर माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि विद्या परिषद् के माध्यम से प्रस्ताव पारित करवाकर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

15/6/2023

(अरूण प्रकाश शर्मा)
सदस्य सचिव